

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:- 214/2019

1. भीम पुत्र रामेश्वर जाति बिश्नोई निवासी 3 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. कलावती पत्नी रामेश्वर | } जाति बिश्नोई निवासीयान 3 केएसपी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। |
| 2. रामेश्वर पुत्र ख्यालीराम | |
| 3. रचना पुत्री रामेश्वर | |

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीया सं० 1 के नाम से चक नं० 3 केएसपी के खाता सं० 21/14 में कुल 2.530 है० कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 3 केएसपी के खाता सं० 21/14 में से प्रतिवादीया सं० 1 कलावती का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आयुजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसव्त् मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..... 3-9-19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा) एवं
 उपखण्ड सहायक एवं
 सहायक कलक्टर एवं
 टिब्बी
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी